रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/97 REGISTERED NO. DL—33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 26, 1997 (श्रावण 4, 1919)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 26, 1997 (SRAVANA 4, 1919)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	455
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	685
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और प्रशासनिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	5
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1093
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में अधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उप-विधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और प्रधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	667
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	1043
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के प्रधीन प्रथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं ।	2185
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	863
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*कोई प्रश्न नहीं हुए ।

CONTENTS

PAGE

PART I— SECTION 1 —Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 455

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 685

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence 5

PART I —SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 1093

PART II —SECTION 1 —Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II —SECTION 1-A— Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II —SECTION 2 —Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . *

II —SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PART II —SECTION 3—SUB-SECTION (ii)— Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence *

PART III—SECTION 1 —Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 667

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 1043

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . *

PART III —SECTION 4 —Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 2185

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 263

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc both in English and Hindi *

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

(महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने सम्बन्धी समिति शाखा)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 जुलाई 1997

सं. 4/1/ई. डब्ल्यू. सी-97—श्री सी. नारायण स्वामी, सदस्य, लोक सभा को श्रीमती रत्नमाला डी. सवान्नूर के मंत्री नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर 3 जुलाई, 1997 से महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने सम्बन्धी समिति (1997-98) का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया गया है।

अशोक सरीन
उप सचिव

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 जुलाई 1997

संकल्प

सं. फा. 4(3)/93-हिन्दी—संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गठन से संबंधित इस मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प दिनांक 25-8-1994 के आंशिक आशोधन में निम्नलिखित राज्य मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं रहे। इनका नाम सदस्य सूची से हटाया जाता है :—

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री—सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में पदभार संभालने के फलस्वरूप निम्नलिखित राज्य मंत्री का नाम मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की सदस्य सूची में जोड़ा जाता है :—

नागर विमानन मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री—सदस्य

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और मंत्रिमण्डल कार्य विभाग का वेतन तथा लेखा कार्यालय, नई दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

देवराज तिवारी
संयुक्त सचिव

संकल्प

सं. फा. 8(3)/97-हिन्दी—संसदीय कार्य मंत्रालय ने "संसदीय लोकतन्त्र" से संबंधित विषयों पर एक अखिल भारतीय हिन्दी लेख प्रतियोगिता आयोजित करने का निश्चय किया है। इस योजना का विवरण नीचे दिया गया है :—

1. योजना का नाम :

इस योजना का नाम "संसदीय लोकतन्त्र" पर अखिल भारतीय हिन्दी लेख प्रतियोगिता होगा।

2. योजना का उद्देश्य :

संसदीय लोकतन्त्र में जनता की अभिरुचि को जागृत करना तथा हिन्दी लेखन को प्रोत्साहन देना है।

3. प्रतियोगिता का क्षेत्र :

(क) प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाएगी परन्तु इसे तीन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है :—

क्षेत्र-1 उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली राज्य और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।

क्षेत्र-2 गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र।

क्षेत्र-3 अरूणाचल प्रदेश, असम, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, गोआ, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम राज्य और दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र ।

(ख) तीनों क्षेत्रों के लिए प्रतियोगिताएं अलग-अलग आयोजित की जाएंगी तथा उनके पुरस्कार भी अलग-अलग ही होंगे ।

4. पुरस्कार की राशि

(क) योजना के तीनों क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार पृथक-पृथक दिए जाएंगे :—

क्षेत्र-1

प्रथम पुरस्कार (दो) रुपये 2,100/- (इक्कीस सौ रुपये प्रत्येक) ।

द्वितीय पुरस्कार (दो) रुपये 1,500/- (पन्द्रह सौ रुपये प्रत्येक) ।

तृतीय पुरस्कार (चार) रुपये 1,100/- (ग्यारह सौ रुपये प्रत्येक) ।

क्षेत्र-2

प्रथम पुरस्कार—(एक) रुपए 2,100/- (इक्कीस सौ रुपये) ।

द्वितीय पुरस्कार—(एक) रुपये 1,500/ (पन्द्रह सौ रुपये) ।

तृतीय पुरस्कार—(दो) रुपए 1,100/- (ग्यारह सौ रुपये प्रत्येक) ।

क्षेत्र-3

प्रथम पुरस्कार—(तीन) रु. 2,100/- (इक्कीस सौ रुपये प्रत्येक) ।

द्वितीय पुरस्कार—(चार) रु. 1,500/- (पन्द्रह सौ रुपये प्रत्येक) ।

तृतीय पुरस्कार—सात रु. 1,100/- (ग्यारह सौ रुपये प्रत्येक) ।

5. पात्रता :

(क) सभी भारतीय नागरिक इसमें भाग ले सकेंगे ।

(ख) प्रतियोगी मैट्रिक या उसके समकक्ष या उससे अधिक उपाधि प्राप्त होना चाहिए ।

(ग) प्रतियोगी की मातृभाषा उसी क्षेत्र की होनी चाहिए जिस क्षेत्र में वह प्रतियोगिता में भाग ले रहा है ।

6. विषय

प्रतियोगिता का विषय "भारत की सांस्कृतिक एकता-साध्य और साधन" होगा ।

7. भाषा

लेख की भाषा हिन्दी होगी ।

8. सामान्य शर्तें :

(क) लेखकों से यह अपेक्षित होगा कि वह लेख की टाईप की गई 3 प्रतियां भेजें ।

(ख) प्रतियोगिता के लिए लेख को, प्रतियोगी द्वारा स्वयं लिखा जाना चाहिए । इस आशय की घोषणा लेख के साथ संलग्न होनी चाहिए ।

(ग) लेख किसी पुस्तक से उद्धृत अथवा लघुकृत नहीं होना चाहिए ।

(घ) लेख किसी अन्य भाषा में पूर्व प्रकाशित लेख का हिन्दी अनुवाद नहीं होना चाहिए ।

(ङ) पुरस्कृत लेख पर मंत्रालय का यह अधिकार होगा कि वह उसे किसी रूप में प्रकाशित अथवा उद्धृत कर सकेगा ।

(च) प्रस्तुत लेख को किसी अन्य योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त नहीं होना चाहिए ।

(छ) संसदीय कार्य मंत्रालय को पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन और इस प्रकार के चयन को विनियमित करने का अनन्य अधिकार होगा ।

(ज) संसदीय कार्य मंत्रालय को इस योजना में संशोधन करने का अनन्य अधिकार होगा ।

(झ) लेख, एक निर्धारित तारीख तक ही स्वीकार किए जाएंगे ।

(ट) लेख के साथ मैट्रिक परीक्षा के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न होनी चाहिए ।

(ठ) निर्धारित शैक्षिक योग्यता में कोई शिथिलता नहीं दी जाएगी ।

9. लेख की शब्द सीमा :

लेख कम से कम 4500 शब्दों का और अधिकतम 5000 का होना चाहिए ।

10. मूल्यांकन समिति

(क) पुरस्कार प्रदान किए जाने के बारे में निर्णय एक मूल्यांकन समिति द्वारा लिया जाएगा । इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

(ख) मूल्यांकन के लिए 5 सदस्यों की एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी जिसके पदेन अध्यक्ष सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय होंगे। समिति के तीन सदस्य बाहर के व्यक्ति होंगे।

(ग) मूल्यांकन की पूर्ण प्रक्रिया का निर्धारण संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों/विशेषज्ञों को उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन कार्य के लिए यथा-निर्धारित मानदेय और इस संबंध में की गई यात्राओं के लिए नियमानुसार अनुदेय यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

(घ) यदि न्यूनतम स्तर के लेख प्राप्त नहीं होते हैं अथवा/और लेख अपेक्षित संख्या में प्राप्त नहीं होते हैं, उस अवस्था में मंत्रालय को यह अधिकार होगा कि प्रतियोगिता को किसी स्तर पर समाप्त कर दे।

11. विविध :

(क) संसदीय कार्य मंत्रालय, प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों के साथ-साथ प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर प्रतियोगियों से लेख आमन्त्रित करेगा।

(ख) केवल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को ही मूल्यांकन समिति के निर्णय की सूचना मंत्रालय द्वारा दी जाएगी।

(ग) पुरस्कारों का वितरण संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में किया जाएगा। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को आने-जाने का दूसरे दर्जे का रेल का किराया दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

देवराज तिवारी
संयुक्त सचिव

योजना आयोग
(सामाजिक आर्थिक अनुसंधान यूनिट)
नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 1997

संकल्प

सं. 0-15011/2/90-एसईआर - संदर्भ योजना आयोग का दिनांक 18 अक्तूबर, 1996 का संकल्प ओ-15011/2/96-एसईआर।

1. योजना आयोग ने तत्काल प्रभाव से योजना से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान पर उसे सलाह देने के लिए गठित अपनी अनुसंधान सलाहकार समिति के पुनर्गठन का विनिश्चय किया है।

संरचना

अध्यक्ष

1. प्रो. मधु दण्डवते
5, अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001।

सदस्य

2. प्रो. सुशीला भान
निदेशक, शान्ति अनुसन्धान और कार्य संस्थान,
81 गगन विहार
दिल्ली-110057।

3. प्रो. एस. एम. बरदे,
"कपिलवस्तु" स्वामी,
विवेकानन्द मार्ग,
बांद्रा (पश्चिम)
मुम्बई-400050।

4. डा. आर. राधा कृष्णन
सदस्य-सचिव, आईसीएसएसआर,
अरुणा आसफ अली मार्ग,
नई दिल्ली-110067।

5. डा. ए. सरमा
प्रधान, दिल्ली केन्द्र, आईएसआई,
7, एसजेएस सनसंस्वाल मार्ग,
नई दिल्ली-110016।

6. डा. राकेश मोहन
महानिदेशक, एनसीएईआर,
11, आईपी स्टेट
11, परिसिला भवन,
नई दिल्ली-110002।

7. डा. बिमल जालान
सदस्य और सचिव (पीसी)

8. श्री. एस. आर. हाशिम
सदस्य (पीसी)।

9. डा. जे. एस. बजाज
सदस्य (पीसी)।

10. श्री एन. पार्थासारथी
संयुक्त-सचिव और वित्त सलाहकार (पीसी)।

सदस्य-सचिव

11. श्री शैलेन्द्र शर्मा
सलाहकार (एसईआर) (पीसी)।

2. योजना आयोग में आन्तरिक रूप से सृजित अनुसंधान प्रस्तावों के संबंध में अनुसंधान सलाहकार समिति की एक उप समिति को उपयुक्त निर्णय लेने के लिए शक्तियां प्रदान की जाएंगी । उप समिति की संरचना निम्नानुसार होगी—

उप समिति की संरचना

अध्यक्ष

1. प्रो. मधु दण्डवते ।

सदस्य

2. डा. बिमल जालान,
सदस्य और सचिव (पीसी) ।

3. प्रो. एस. आर. हाशिम,
सदस्य (पीसी) ।

4. डा. जे. एस. बजाज,
सदस्य (पीसी) ।

5. डा. एन. पार्थसारथी,
संयुक्त सचिव और
वित्त सलाहकार (पीसी) ।

सदस्य-सचिव

6. श्री शैलेन्द्र शर्मा,
सलाहकार (एलईएम) ।

विचारार्थ विषय

(1) योजना के लिए अनिवार्य अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान करना, इन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए विद्वानों और संस्थानों की पहचान करना, समुचित अनुसंधान परियोजनाओं का निरूपण करना और योजना आयोग द्वारा वित्त पोषण के लिए अनुमोदन हेतु कार्रवाई करना ।

(2) योजना के संगत अपने क्षेत्रों पर संस्थानों/विद्वानों से प्राप्त अनुसंधान अध्ययन प्रस्तावों की जांच करना और योजना आयोग द्वारा उनके वित्त पोषण की उपयुक्तता पर सलाह देना ।

(3) अनुसंधान कार्यक्रमों पर सलाह देना जिन्हें योजना आयोग से प्राप्त आवर्ती ब्लाक अनुदानों द्वारा विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में वित्त पोषित किया जाता है अर्थात गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे और अर्थशास्त्र विभाग, मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई आदि के कार्यक्रम ।

(4) योजना आयोग की वित्तीय सहायता से विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में आयोजित प्रशिक्षण और अनुसंधान व प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर सलाह देना ।

(5) योजना आयोग द्वारा प्रायोजित अन्य अनुसंधान अध्ययनों के साथ जोड़ने को ध्यान में रखते हुए अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान के अनुसंधान कार्यक्रमों पर विचार करना ।

(6) योजना आयोग को वित्तीय सहायता से प्रकाशन के लिए पूरे किए गए अध्ययनों की उपयुक्तता पर सलाह देना ।

(7) पहचान की गई विकास समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए आयोजित संगोष्ठियों को आंशिक तौर पर अथवा पूरे तौर पर वित्त पोषण की उपयुक्तता पर सलाह देना ।

(8) योजना आयोग की आंतरिक अनुसंधान क्षमता का निर्माण और इस संबंध में आंतरिक अनुसंधान अध्ययन शुरू करना ।

(9) योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों द्वारा शुरू किए गए अनुसंधान और परामर्शदात्री कार्यकलापों और अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों और अन्य एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए/प्रायोजित योजना के संगत कार्यकलापों का समन्वय ।

(10) मंत्रालयों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों (एन आई सी सहित) की डाटा सूचना और डाटा पद्धति का समन्वय और योजना और नीति प्रयोजनों के लिए उनके डाटा बेस का उपयोग करना ।

(11) राज्य और निम्न स्तरों पर योजना प्रक्रिया के लिए पद्धतियों के विकास को समर्थन देना और विकेन्द्रीकृत योजना की पद्धति में प्रशिक्षण को प्रोन्नत करना ।

(12) उपर्युक्त कार्यों को पूरा करने के लिए किसी अन्य संगत अथवा घटनाजन्य मामले पर सलाह देना ।

3. यदि सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाता तो इस समिति की अवधि 3 वर्ष होगी ।

4. समिति की बैठकें अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार होंगी । सामान्यतः इसकी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी ।

5. बैठक में उपस्थित होने वाले गैर सरकारी सदस्य उच्च श्रेणी में हवाई यात्रा अथवा प्रथम श्रेणी वातानुकूलित में रेल द्वारा और भारत सरकार के ग्रेड-1 अधिकारी को स्वीकार्य अन्य सामान्य भत्तों जैसे कि यात्रा भत्ता, मंहगाई भत्ता आदि के पात्र होंगे ।

6. योजना आयोग का सामाजिक आर्थिक अनुसंधान यूनिट समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भिजवा दी जाए ताकि इसे सामान्य सूचना हेतु प्रकाशित किया जा सके ।

जी. एस. रंधावा
उप सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

(COMMITTEE ON THE EMPOWERMENT OF WOMEN BRANCH)

New Delhi-110 001, the 7th July 1997

No. 4/1/EWC-97.—Shri C. Narayana Swamy, Member, Lok Sabha has been nominated to be a Member of the Committee on the Empowerment of Women (1997-98) w.e.f. 3rd July, 1997, vice Shrimati Ratnamala D. Savanoor appointed as Minister.

ASHOK SARIN, Deputy Secretary

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 8th July 1997

RESOLUTION

No. F. 4(3)/93-Hindi.—In partial modification of this Ministry's Resolution of even number dated 25-8-94 regarding constitution of Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs, the following Minister of State ceases to be the Member of this Samiti. His name is deleted from the list of Member :—

Member

1. Minister of State in the Ministry of Urban Affairs and Employment and in the Ministry of Parliamentary Affairs

Consequent upon taking the charge in the Ministry of Parliamentary Affairs the name of the following Minister of State is added in the list of Member :—

Member

1. Minister of State in the Ministry of Civil Aviation and in the Ministry of Parliamentary Affairs.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be forwarded to all State Governments and Union Territories Administrations, All Ministries and Departments of Government of India, President Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Secti., Lok/Rajya Sabha Secti., Planning Commission, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India, and Pay and Accounts Office, Cabinet Affairs, New Delhi.

It is also ordered that this Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

DEORAJ TIWARI, Joint Secretary

RESOLUTION

No. F. 8(3)/97-Hindi.—The Ministry of Parliamentary Affairs have decided to organise an All India Hindi Essay Competition on the subjects relating to 'Parliamentary Democracy'. The main features of the scheme are as under :—

1. *NAME OF THE SCHEME*

Name of the scheme will be All India Hindi Essay Competition on 'Parliamentary Democracy'.

2. *OBJECTS OF THE SCHEME*

To arouse the interest of public in Parliamentary Democracy and to encourage writing on the subject in Hindi.

3. *AREA OF COMPETITION*

(a) Competition will be organised at All India Level but it has been divided into three Zones :—

ZONE-I States of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, Himachal Pradesh, Delhi and Union Territory of Andaman & Nicobar Islands.

ZONE-II States of Gujarat, Maharashtra, Punjab and Union Territory of Chandigarh.

ZONE-III States of Arunachal Pradesh, Assam, Andhra Pradesh, Orissa, Karnataka, Kerala, Goa, Jammu & Kashmir, Tamil Nadu, Tripura, Nagaland, West Bengal, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Sikkim and Union Territories of Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli, Pondicherry, Lakshadweep.

(b) Separate Competition will be organised for each zone and their prizes will also be separate.

4. *AMOUNT OF THE PRIZES*

(a) The separate prizes to be given under the scheme for three Zones will be as under :—

Zone-I

First Prize—(Two) Rs. 2,100/-

(Rs. Two thousand one hundred each)

Second Prize—(Two) Rs. 1,500/-

(Rs. One thousand five hundred each)

Third Prize—(Four) Rs. 1,100/-

(Rs. One thousand one hundred each)

Zone-II

First Prize—(One) Rs. 2,100/-

(Rs. Two thousand one hundred)

Second Prize—(One) Rs. 1,500/-

(Rs. One thousand five hundred)

Third Prize—(Two) Rs. 1,100/-

(Rs. One thousand one hundred each)

Zone-III

First Prize—(Three) Rs. 2,100/-

(Rs. Two thousand one hundred each)

(Rs. One thousand Five hundred each)

Second Prize—(Four) Rs. 1,500/-

Third Prize—(Seven) Rs. 1,100/-

(Rs. One thousand one hundred each)

5. *ELIGIBILITY*

(a) All Indian citizens can participate in the competition.

(b) participant should be matric or possessing an equal or higher degree.

(c) Mother tongue of participant should be of that zone from which he is participating.

6. *SUBJECT*

Subject of the Competition will be 'Cultural Integrity of India-Feasibility and mean.

7. *LANGUAGE*

Language of the Essay will be Hindi

8. *GENERAL TERMS AND CONDITIONS*

(a) It is obligatory for the writer to send three typed copies of the Essay.

(b) The Essay should be written by the participant himself. Statement to this effect should be appended with the Essay.

(c) Essay should not be an extract from or abridged version of a book.

(d) Essay should not be the Hindi translation of an article already published in any other language.

(e) Ministry of Parliamentary Affairs shall have the right to publish or to quote from the awarded Essay).

(f) The Essay should not have been awarded a prize under any other scheme.

(g) The Ministry of Parliamentary Affairs shall have exclusive right of selection of the recepient of the awards and regulation of such selection.

(h) The Ministry of Parliamentary Affairs shall have absolute right to modify the scheme.

(i) Essay will be accepted upto the specified date only.

(j) Attested copies of the matric certificate should also be appended with the Essay.

(k) No relaxation will be given in prescribed edutional qualification.

9. *WORD LIMIT OF ESSAY*

Essay should be limited to minimum of 4500 words and to maximum of 5000 words.

10. *EVALUATION COMMITTEE*

(a) The decision regarding award of prizes will be taken by an Evaluation Committee. No correspondence will be entertained in this regard.

(b) Evaluation Committee of 5 Members shall be constituted. Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs shall be Ex-officio Chairman of the Evaluation Committee. Three Members of the Committee will be from outside.

(c) Whole procedure reg. evaluation will be laid down by the Ministry of Parliamentary Affairs. All Members/Experts including Chairman, will be paid Honorarium as laid down for the work of evaluation and T.A./D.A. as admissible under the rules, for the journeys undertaken in connection with evaluation work.

(d) In case where Essays received, are not of an appropriate level or/and number of Essays so received, is not reasonable one then the Ministry shall have the right to discontinue the Competition at that very stage.

11. *MISCELLANEOUS*

(a) Ministry of Parliamentary Affairs will invite Essays by advertising in leading Hindi Newspapers as well as leading Regional Newspapers.

(b) Ministry will inform the decision of Evaluation Committee to the prize winning participants only.

(c) The prizes will be awarded at a function to be organised by the Ministry of Parliamentary Affairs. Prize winners will be given to and from second class Rail Fare.

ORDER

It is ordered that copy of the Resolution be communicated to all State Governments and all Ministries/Departments of the Government of India. It is also further ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for General Information.

D. R. TIWARI, Joint Secretary

PLANNING COMMISSION

(SOCIO-ECONOMIC—RESEARCH UNIT)

New Delhi, the 24th June 1997

RESOLUTION

No. O-15011/2/90-SER.—Reference Planning Commission's Resolution No. O-15011/2/90-SER dt. 18th Oct., 1996.

1. The Planning Commission has decided to reconstitute its Research Advisory Committee set up to advise it on research in areas relating to Planning with immediate effect. Its composition and terms of reference are set out below :

COMPOSITION

Chairman

1. Prof. Madhu Dandavate,
5, Ashoka Road,
New Delhi-110001.

Members

2. Prof. Sushila Bhan
Director, Institute of Peace,
Research and Action,
81, Gagan Vihar,
Delhi-110057.

3. Prof. S. S. Varde,
'Kapilavastu',
Swami Vivekananda Marg, Bandra (W),
Mumbai-400050.

4. Dr. R. Radhakrishna,
Member-Secretary, ICSSR,
Aruna Asaf Ali Marg,
New Delhi-110 067.

5. Dr. A. Sarma,
Head, Delhi Centre, ISI,
7, SJS Sansanswal Marg,
New Delhi-110 016

6. Dr. Rakesh Mohan,
Director-General,
NCAER, 11, Parisila Bhavan,
11, I.P. Estate,
New Delhi-110002

7. Dr. Bimal Jalan,
Member & Secretary (PC)

8. Prof. S. R. Hashim,
Member (PC)

9. Dr. J. S. Bajaj,
Member (PC)

10. Shri N. Parthasarthy,
JS & FA (PC)

Member-Secretary

11. Sh. Shailendra Sharma
Adviser (LEM) (PC).

2. In respect of research proposals which are generated internally in the Planning Commission, a Sub-Committee of the Research Advisory Committee shall be empowered to take the appropriate decisions. The composition of the Sub-Committee will be as follows —

COMPOSITION OF SUB-COMMITTEE

Chairman

1. Prof. Madhu Dandavate

Members

2. Dr. Bimal Jalan, Member & Secretary (PC)

3. Prof. S. R. Hashim, Member (PC)

4. Dr. J. S. Bajaj, Member (PC)

5. Sh. N. Parathasarthy, JS & FA (PC)

Member-Secretary

6. Shri Shailendra Sharma, Adviser (LEM)

TERMS OF REFERENCE

(i) To identify areas of research essential for Planning, identify scholars and institutions for undertaking research in these areas, get appropriate research projects formulated and process them for approval for financial by the Planning Commission.

(ii) To examine research study proposals received from institutions, scholars on their own areas relevent to Planning and advise on their suitability for financing by the Planning Commission.

(iii) To advise on the research programmes that are financed in various research institutions by recurring block grants from the Planning Commission i.e., those in the Gokhale Institute of Politics and Economics, Pune and the Department of Economics, Mumbai University, Mumbai, etc;

(iv) To advise on the training and research-cum-training programmes organised in different research institutions with financial assistance from the Planning Commission;

(v) To consider the research programme of the Institute of Applied Manpower Research with a view to dovetailing it with the other research studies sponsored by the Planning Commission;

(vi) To advise on the suitability of the completed studies for publication with financial assistance from the Planning Commission;

(vii) To advise on the suitability of financing, partly or wholly, seminars, which may be organised to discuss indentified development problems;

(viii) To build up internal research capacity of the Planning Commission and undertake research studies internally towards this end;

(ix) To coordinate the research and consultancy activities undertaken/sponsored by the different divisions of the Planning Commission as well as those relevent to Planning undertaken/sponsored by other Central Ministries and other agencies;

(x) To coordinate information and data systems of Ministries and different Government agencies (including NIC) and utilisation of their data base for planning and policy purposes;

(xi) To support development of methodologies for planning exercise at the state and lower levels and promote training in the methodology of decentralised planning; and

(xii) To advise on any other matter relevant or incidental to the discharge of the above functions

3. The terms of this committee shall be for a period of three years unless otherwise notified by the Government.

4. The committee may meet as often as may be decided by its Chairman. Normally, its meeting will be held at New Delhi.

5. The non-official members attending the meeting would be entitled to travel by Air in Executive class or by train in I class Air conditioned and other usual allowances like TA, DA as admissible to Grade I officer to the Government of India.

6. The Socio-Economic Research Unit of the Planning Commission will function as the Secretariat of the Committee.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

G. S. RANDHAWA, Deputy Secretary.

मुद्रक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1997
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and published by the Controller of Publications, Delhi, 1997.